Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : RAJGARH

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131)   Print Date : 03-02-2021 11:27 AM

Fee Receipt No	: 202102293000663	Receipt Date	: 03-02-2021
Name	: DALEEP SINGH JANGID	Document S. No	: [illegible]
Address	: ----		
Document Type	: Copy Of Document		
Face Value	: ₹ 0	Evaluated Value	: ₹ 0
Ord-Registration Fee	: ₹ 0	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 0	Certified copying fees Us_57	: ₹ [illegible]
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 90	Stamp Duty	: ₹ [illegible]
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: [illegible]
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 690
		Total Amount	: ₹ 690

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 47086636 ₹ 100 # Stamp N.A. ₹ 390 # e-Gras Challan 47085830 ₹ 100 # e-Gras Challan 47085581 ₹ 100

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR उपपंजीयक (पूर्व)

उपकोषाधिकारी राजगढ़ (चूरू)

राज[illegible]थान सरकार

NON JUDICIAL

भारत INDIA

100 रुपये

SPECIAL ADHESIVE

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के अन्तर्गत
स्टाम्प राशि रु. [illegible]
आधारभूत [illegible]
[illegible]
भाग और उसकी कर [illegible]
मर्दन हेतु धारा 3-[illegible]

राजस्थान सरकार

[illegible] DEC [illegible]

उपकोषाधिकारी राजगढ़

उप कोषाधिकारी
राजगढ़ (चूरू)

तहसीलदार एवं उप पंजीयक
सत्यमेव जयते
राजगढ़, जिला-चूरू

प्रमाणित छाया प्रति दस्तावेज संख्या 552
दिनांक 28/03/2008 कार्यालय उप पंजीयक
राजगढ़ चूरू संलग्न है।—

उप पंजीयक
राजगढ़ (चूरू)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN 210238

MAR 2008

लीज डीड (पट्टा) किरायानामा — स्टाम्प रुपये- 35,000 =/-

— यह पट्टा आज दिनांक 24-3-2008 को श्रीमति सपना देवी आयु 35 साल पति श्री दलीपसिंह जांगिड़ जाति जांगिड़ साकिन राजगढ़ वार्ड नं: 4 तहसील राजगढ़ जिला चूरु की हूँ।

-जिसे आगे इस लिखत मे 'भूमि मालिक' उपनाम के नाम से सम्बोधन किया जायेगा!

— हक मे —

सी. आर. मेमोरियल शिक्षण संस्थान राजगढ़ जिला चूरु जरिये सचिव- मानसिंह जांगिड़ आयु 77 साल पुत्र चिमनाराम जांगिड़ जाति जांगिड़ साकिन राजगढ़ वार्ड नं: 4 तहसील राजगढ़ जिला चूरु के है। सपना

प्रमाणित छाया प्रति

उप पंजीयक राजगढ़ (चूरु)

(2)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000
पाँच हजार रुपये

Rs.5000
FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

RAJASTHAN

210237

MAR 2008

-जिसे आगे इस विलेख में 'किरायेदार'
द्वितीय पक्ष के नाम से सम्बोधन किया जावेगा,
के मध्य निष्पादन किया गया है।

- यह कि कस्बा राजगढ़ वार्ड नम्बर 2 की सीमा के पास मोहल्ला मालवीय के पीछे चैक पोस्ट के नजदीक तहसील राजगढ़ जिला चूरु में प्रथम पक्ष- श्रीमति सपना देवी पत्नि दलीपसिंह जांगीड़ जाति जांगीड़ निवासी राजगढ़ के नाम से आराजी तादादी 1189.55 वर्गगज भूमि का आवासीय लीज पट्टा विलेख दिनांक 7-9-2007, पट्टा क्रमांक 602 बनवाया हुआ आ रहे है! प्रथम पक्ष ने अपनी उक्त पट्टा -

सपना

प्रमाणित छाया प्रति
उप पंजीयक
राजगढ़ (चूरु)

2206

(3)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

210236

MAR 2008

की भारती में पुस्तक भवन निर्माण करना रहा है।, को द्वितीय पक्ष बी. आर. मेमोरियल शिक्षण संस्थान राजगढ़ जिला चूरु को शैक्षणिक उपयोग, उपभोग के लिये तीस साल की अवधि के लिये 2,000=00 रुपये सालाना किरायेदारी लीज डीड (पट्टा) पर देना चाहती है और द्वितीयपक्ष भी प्रथम पक्ष की उक्त वर्णित पट्टा की भूमि व उसमे निर्मित भवन को तीस साल की अवधि के लिये पट्टे पर लेने के लिये सहमत है।

अतः पक्षकारान इस विलेख के जरिये निम्न करार करते हैं:- - - - -

सपना

प्रमाणित छाया प्रति

उप पंजीयक
राजगढ़ (चूरु)

2207

(4)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

210235

RAJASTHAN

MAR 2008

1= यह कि प्रथम पक्ष अपनी उक्त वर्णित पट्टा की भूमि व भवन निर्मित को तीस साल की अवधि के लिये लीज डीड (पट्टा) किराये पर द्वितीय पक्ष को देती है! जिसकी अवधि दिनांक 15-10-2007 से प्रारम्भ होकर दिनांक 14-10-2037 को समाप्त होगी, अर्थात पट्टे की अवधि 15-10-2007 से 14-10-2037 तक है।

2. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त भूमि का वार्षिक किराया रुपये 2000=00 अक्षरे रुपये दो हजार हर वर्ष अक्टूबर की 15 तारीख को प्रथम पक्ष को अदा करेगा व किराये की रसीद प्राप्त करेगा।

3. यह कि द्वितीय पक्ष तीस वर्षों की अवधि का तमाम सरकारी कर जो उक्त भूमि पर देय होंगे - स्वयं अदा करेगा। उक्त अवधि का -

प्रमाणित छाया प्रति

उप पंजीयक
राजगढ़ (चूरू)

सपना

2L08

(5)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

RAJASTHAN 210234

MAR 2008

उक्त भूमि व भवन पर लगने वाले तमाम करों की अदायगी की जिम्मेवारी द्वितीय पक्ष की होगी।

(4) = यह कि तीस साल तक उक्त भूमि को द्वितीय पक्ष अपनी मरजी के मुताबिक उपभोग- उपभोग करेगा तथा प्रथम पक्ष को किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा।

(5) यह कि द्वितीय पक्ष उक्त 30 वर्ष की अवधि में उक्त भूमि- भवन को किसी अन्य व्यक्ति या संस्थान को उप पट्टे पर नहीं दे सकेगा।

(6) यह कि तीन डीड (पट्टा) किरायानामा की अवधि के समाप्त होते ही द्वितीय पक्ष उक्त भूमि- भवन का कब्जा प्रथम पक्ष को संभला देगा, अगर अवधि के समाप्त होने पर द्वितीय पक्ष उक्त भूमि का कब्जा प्रथम पक्ष को नहीं संभलायेगा तो प्रथम पक्ष को कानूनन कब्जा प्राप्त करने का अधिकार होगा।

प्रमाणित छाया प्रति

उप पंजीयक
राजगढ़ (चूरू)

सपन

2203

(8)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN 210233

MAR 2008

(7) यह कि उक्त लीज डीड (पट्टा) किरायानामा की अवधि को दोनो पक्षों की सहमति से उक्त अवधि को समाप्त कर सकेंगे और अवधि को आगे भी बढ़ा सकेंगे।

(8) यह कि लीज काल की समाप्ति यानि दिनांक 14-10-2037 के पश्चात उक्त लीज डीड (पट्टा) किरायानामा की अवधि स्वतः ही समाप्त व निरस्त होनी मानी व समझी जायेगी।

(9) = यह कि लीज डीड (पट्टा) की अवधि में द्वितीय पक्ष उक्त भूमि व भवन का किसी भी प्रकार दुरुपयोग नहीं करेगा।

(10) = यह कि द्वितीय पक्ष सी. आर. मेमोरियल शिक्षण संस्थान- राजगढ़ जिला चूरु- माता मन्दिर के पीछे चैक पोस्ट बैरियर के नजदीक के सचिव श्री मानसिंह पांगोड़ व प्रथम पक्ष श्रीमति सपना देवी के मध्य उक्त करार हुआ है।

सपना

प्रमाणित छाया प्रति

उप पंजीयक
राजगढ़ (चूरु)

(7)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

210232

राजस्थान RAJASTHAN

MAR 2008

अतः मह [illegible] रोड (पक्ष) किरायानामा जो बुकलती होगा [illegible] अपनी स्वेच्छा व स्वस्थ चेतन मन से [illegible] लिखित रखी दिनांक 24-3-2008 [illegible] सुमितलाल - प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के [illegible] पढ़कर सुनाया व समझाया उक्त दस्तावेज की [illegible] के भविष्य में [illegible] एवं अपठनीय होने पर पंजीयन विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

[illegible]

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष   हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

शिव शंकर [illegible]

लाo नo 25182 नo रजिo 243.

साक्ष:- दलीप सिंह आयु 40 साल पुत्र मानसिंह [illegible] निवासी राजगढ़ वार्ड नं [illegible]

साक्ष:- रोहताश आयु 36 साल पुत्र मदनसिंह [illegible] निवासी राजगढ़ वार्ड नं [illegible]

प्रमाणित छाया प्रति

उप पंजीयक

राजगढ़ (चूरू)

51

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : RAJGARH

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 05-02-2021 3:08 PM

Fee Receipt No	: 202102283000831	Receipt Date	: 05/02/2021
Name	: DALEEP SINGH JANGIR,	Document S. No	: 202101280000821
Address	: - - -		
Document Type	: Copy Of Document		
Face Value	: ₹ 0	Evaluated Value	: ₹ 0

Ord-Registration Fee	: ₹ 0	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 0	Certified copying fees Us_57	: ₹ 400
Stamp (Memorandum)	: ₹	Fee (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 120	Stamp Duty	: ₹ 400
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 920
		Total Amount	: ₹ 920

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 47201892 ₹ 400 # Stamp N.A. ₹ 520

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR

राजस्थान सरकार

NON JUDICIAL

INDIA

SPECIAL ADHESIVE

उप कोषाधिकारी
राजगढ़ (चूरू)

राजस्थान सरकार

1 8 DEC [illegible]

उपकोषाधिकारी राजगढ़

[illegible] स्टाम्प अधिनियम [illegible] की धारा
स्टाम्प [illegible]
आधारभूत [illegible]
[illegible]
पत्र और उसकी नकल [illegible]
मर्दन हेतु [illegible] 20

कुल राशि

[illegible] स्टाम्प [illegible]

प्रमाणित छाया प्रति दस्तावेज संख्या 0553
दिनांक 29/03/2008 कार्यालय उप पंजीयक राजगढ़
चूरू संलग्न है।

उप पंजीयक
राजगढ़ (चूरू)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

RAJASTHAN

बैनामा

मालियत रूपये – 100000-00
स्टाम्प रूपये – 6,000-00

– अधिकतम शब्द संख्या – 1000
– आर्टिकल 23 राज़. स्टाम्प एक्ट

मनके रमजान खॉ उम्र 50 साल, पुत्र श्री उमदे खॉ जाति चौहान मुसलमान साकिन राजगढ तहसिल राजगढ जिला चूरू का है।

जिसे आगे विकेता मुकिर कहा गया है। एव जो इस बैनामा का प्रथम पक्षकार है।

प्रमाणित छाया प्रति
उप पंजीयक
राजगढ (चूरू)

रमजान खॉ

2212

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

MAR 2006

राजस्थान RAJASTHAN

A 151704

एंव

सी. आर. मैमोरियल शिक्षण संस्थान राजगढ़ जिला चुरू जरिये सचिव मानसिंह जांगीड़ उम्र 77 साल पुत्र श्री चिमनाराम जांगीड़ जाति जांगीड़ साकिन राजगढ़ वार्ड नं. 4 तहसील राजगढ़ जिला चुरू के है।

– जिसे आगे केता कहा गया है एंव जो इस बैनामा का द्वितीय पक्षकार है के मध्य निस्पादन किया गया है।

– जो कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 798 रकबा 0.30 हेक्टर गैर मुमकिन सडक ख0 न0 799 रकबा 0.20 हेक्टर ख0 न0 888 रकबा 3.76 हेक्टर किता 3 रकबा 4.26 हेक्टर बारानी तृतीय रकम 7.92 रुपये वाके

रमेशचन्द्र

प्रमाणित छाया प्रति

उप पंजीयक

राजगढ़ (चूरू)

2213

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

RAJASTHAN

रोही मौजा ग्राम राजगढ़ ग्रामीण तहसील राजगढ़ जिला चुरु मे मुकीर प्रथम पक्ष ... खाँ उम्र साल, पुत्र श्री उमदे खाँ कौम चौहान मुसलमान 3.72 हेक्टर ... देह खातेदार के नाम से खातेदारी की वाके है। मुकीर की उक्त भूमि आज ... हर प्रकार के भार व रहन वगेरा के इन्तकालात से पाक व साफ है जो राजस्थान भूमि (अन्तरण)पर निबन्ध अध्यादेश दिनाक 17–2–76ई. की धारा 3 व ... से मुक्त है। उक्त भूमि मे एक ही फसल पैदा होती है–भूमि मजकूर की मिट्टी ... है सिंचाई का कोई साधन नही है भूमि आबादी गांव से 4 किलोमीटर व सड़क से 2. किलोमीटर कि दुरी पर स्थित है आवागमन ऊन्टो व ऊन्ट गाडो का साधन है इसके अलावा पैदल भी आना जाना होता है –उक्त भूमि मुकीर की 3.72 हेक्टर खालिश खातेदारी की है जिस पर मुकीर मालिक व काबिज है। चूंकि मुकीर को खर्चे के लिये रुपयों की आवश्यकता है इसलिये मुकीर अपनी उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 798 रकबा 0.30 हेक्टर गैर मुमकिन सडक ख0 न0 ... रकबा 0.20 हेक्टर ख0 न0 888 रकबा 3.76 हेक्टर किता 3 रकबा 4.26 हेक्टर मे अपने 3.72 हेक्टर मे से 0.25 हेक्टर कृषि भूमि वाके रोही ग्राम राजगढ ग्रामीण तहसील राजगढ़ जिला चुरु 'मजकूरा वाला' को मय जमी हदूद व हकूक

3

प्रमाणित छाया प्रति

उप पंजीयक
राजगढ़ (चुरु)

2214

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

व चारो ओर की सीमा व वृक्षों सहित अपने खर्चे की पूर्ति हेतू रूपये 100000–00 अक्षरे रूपये एक लाख नकद मुद्रा प्रचलन मे सी. आर. मैमोरियल शिक्षण संस्थान राजगढ़ जिला चुरू जरिये सचिव मानसिंह जांगीड उम्र 77 साल पुत्र श्री चिमनाराम जांगीड़ जाति जांगीड़ साकिन राजगढ वार्ड नं. 4 तहसील राजगढ़ जिला चुरू को बैय कतई व फरोख्त करदी है और जरे समन नकद तमाम व कमाल बतोर पेशगी खुद क्रेता से वसूल पालिये है जरे समन भी बाबत क्रेता के जिम्मे कुछ बाकी नही रहा है। मुकीर ने आराजी मुबैया को अपने कब्जा व अधिकार मे से निकालकर उस पर कब्जा व दखल क्रेता का मोका पर करा दिया है। इस बैय मे मेरा अन्य कोई व्यक्ति सहीम व शरीक नही है अगर कोई सख्स सहीम व शरीक पैदा होकर किसी प्रकार का उजर व दावा करे या कोई बारे किफालत भूमि मुबैया पर साबित हो और वो रूपया क्रेता को अदा करना पडे तो क्रेता को अखत्यार है कि हस्ब राये खुद अदालत मजाज मे नालिश करके दखल हासिल करे या जरे समन अपना या जो रूपया बगर्ज महफूजी जमीन देना पड़े बजरिये नालिश नम्बरी असल कीमत व सुद व खर्चा मेरी जात एव जायजाद से हर किस्म से वसूल कर लेवे मेरे को कोई उजर नही होगा। मुकीर आराजी मुबैया

प्रमाणित छाया प्रति
उप पंजीयक
राजगढ़ (चूरू)

2215

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

2008

राजस्थान RAJASTHAN

का दाखिल खारिज क्रेता के नाम से दर्ज करा देगा और केता को भी अखत्यार है कि वोह खुद दरखवास्त देकर दाखिल खारिज अपने नाम से दर्ज करा लेवे। अब आज की तारिख से मेरा व मेरे वारसान का भूमि मुबैया पर कोई दावा व हक बाकी नही रहा है।

दर्ज रहे कि इस बैनामा का खर्चा क्रेता ने अपने पास से खर्च किया है। अतः यह बैनामा बदुरुस्ती होश हवास के अपनी स्वैच्छा व स्वस्थ चेतन मन से लिखा दिया ताकि सनद रहे। दिनांक 27–03–2008 वार गुरुवार ब कलम राजेन्द्र कुमार डोरवाल प्रलेख लेखक राजगढ़ हस्ब कहने मुकीर के लिखा पढकर

प्रमाणित छाया प्रति

उप पंजीयक

राजगढ़ (चूरू)

2216

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

RAJASTHAN

सुनाया व समझाया। इस दस्तावेज की छाया प्रति के भविष्य मे अस्पस्ट एंव अपढनीय होने पर पंजियन विभाग की कोई जिम्मेवारी नही होगी।

राजेन्द्र कुमार हारवाल

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष- हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष-

साख:- दलीप सिंह आयु 40 साल पुत्र श्री मान सिंह जाति जागीद. सांखिय राजगढ़ - चूरू

साख:- नरेन्द्र आयु 40 साल पुत्र देवकीनन्दन जाति सैनी निवासी राजगढ़

नरेन्द्रकुमार

प्रमाणित छाया प्रति

उप पंजीयक

राजगढ़ (चूरू)